

राजस्थान ने अवैध खनन के खिलाफ ड्रोन सर्वेक्षण शुरू किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने [अवैध खनन गतिविधियों](#) के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है जिसमें ऐसी गतिविधियों के स्रोतों पर अंकुश लगाने के लिये ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण शुरू किया है।

- अवैध खनन के सबसे ज्यादा 75 मामले भीलवाड़ा ज़िले में सूचित किये गए हैं।

मुख्य बंदि:

- राजस्थान की भूमि में 81 प्रकार के खनजि हैं, जनिमें से 57 का व्यावसायिक दोहन किया जा रहा है।
- राज्य में देश में सबसे अधिक खनन पट्टे हैं जबकि सरकार सुदूर संवेदन डेटा और [भौगोलिक सूचना प्रणालियों](#) का उपयोग करके बिना लाइसेंस एवं अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु उपाय कर रही है।
- अधिकारियों के अनुसार, राजस्व अधिकारी उस भूमि पर खातेदारी (स्वामित्व) अधिकारों को रद्द करने के लिये राजस्थान करियेदारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई शुरू करने के अभियान में शामिल थे, जहाँ अवैध खनन हो रहा था।
- फीलड अधिकारी खनन माफिया और उल्लंघनकर्त्ताओं की पहचान करते हैं एवं डेटा ऑनलाइन जमा करते हैं, जिसका उपयोग आगे की कार्रवाई शुरू करने हेतु किया जाता है।

अवैध खनन

- सरकारी अधिकारियों से आवश्यक परमिट, लाइसेंस या नयामक अनुमोदन के बिना भूमि या जल नकियों से खनजि, अयस्कों या अन्य मूल्यवान संसाधनों का नषिकरण अवैध खनन है।
 - इसमें पर्यावरण, शर्म और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है।
- भारत में खनन से संबंधित कानून:
 - भारत के संवधान की सूची II (राज्य सूची) के क्रम संख्या 23 की प्रवषिट राज्य सरकार को उनकी सीमाओं के भीतर स्थिति खनजिों का स्वामित्व देने का आदेश देती है।
 - सूची I (केंद्रीय सूची) के क्रम संख्या 54 की प्रवषिट केंद्र सरकार को भारत के [अनन्य आर्थिक कषेत्र \(EEZ\)](#) के भीतर खनजिों का मालकिना अधिकार प्रदान करती है।
 - इसके अनुसरण में [खान एवं खनजि \(वकिस एवं वनियिमन\) \(MMDR\) अधिनियम, 1957](#) बनाया गया था।
 - लघु खनजिों से संबंधित नीति और कानून बनाने की शक्ति पुर्णतः राज्य सरकारों को सौंपी गई है जबकि प्रमुख खनजिों से संबंधित नीति एवं कानून केंद्र सरकार के तहत खान मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।